बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः- 371147 / पटना, दिनांकः- 24/05/2018

ग्रा0वि0-10 (बजट-96/2016)

प्रेषक,

नारायण साव,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त, बिहार ।

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2018-19 का आवंटन CFMS प्रणाली द्वारा करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय कार्यों को ऑन-लाईन करने हेतु दिनांक- 01.04.2018 से CFMS प्रणाली लागू किया जा रहा हैं ।

उक्त के क्रम में उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक- 2661 दिनांक- 31.03.2018 की छाया प्रति आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नकः- यथोक्त ।

विश्वासभाजन
24-5-2018
(नारायण साव)
सरकार के अवर सचिव

Let-19

पत्र सं०-को०प्र०/CFMS-05/2017..2661..../

बिहार सरकार

वित्त विभाग

421

प्रेषक,

अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे,
अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार ।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार ।

पटना, दिनांक-..31.3.18

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 का आवंटन CFMS प्रणाली द्वारा करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण वित्तीय कार्यों को ऑन-लाईन करने हेतु दिनांक-01.04.2018 से CFMS प्रणाली लागू किया जा रहा है । इसके अंतर्गत CFMS में बजट तैयारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को आवंटन उपलब्ध कराने, स्वीकृत्यादेश निर्गत करने, विपत्र तैयार करने, व्यय एवं प्राप्ति का अनुश्रवण करने आदि का कार्य किया जाना है । CFMS प्रणाली में ऑन-लाईन आवंटन की व्यवस्था की गयी है । इस हेतु सभी विभागों द्वारा CFMS में System Admin को Configure किया जाना है, जिसके संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक 1671 दिनांक-06.03.2018 द्वारा विभाग के Departmental Admin द्वारा Horizontal एवं Vertical level पर Office Creation के संबंध में सामान्य अनुदेश निर्गत किया गया है ।

2. System Admin Module के पूर्णतः क्रियाशील हो जाने के उपरांत विभाग द्वारा CFMS में आवंटन का वितरण अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को किया जाना है एवं CFMS प्रणाली द्वारा दिए गए आवंटन के आधार पर ही वर्त्तमान व्यवस्था, यथा, CTMIS, के अंतर्गत कोषागार में विपत्रों को पारित किया जायेगा । अतः इसके संबंध में अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि CFMS द्वारा प्राप्त आवंटन के आधार पर ही कोषागार में विपत्रों को पारित करने हेतु उपस्थापित किया जाय ।

3. जबतक System Admin Module में Data प्रविष्टि पूर्ण नहीं हो जाती है, तबतक आवंटन संबंधित Module क्रियाशील नहीं किया जायेगा । अतः वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-7 के अनुरूप क्रिया अपनायी जायेगी, अर्थात् केवल वेतन भुगतान ही तबतक बगैर आवंटन संभव होगा ।

विश्वासभाजन,

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे)
अपर सचिव
31 March 18

01
03.04.18

114

(97)

(420)

ज्ञापांक............2661..............................दिनांक..31.3.18.

प्रतिलिपि-सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्राप्त सभी आवंटन को CFMS में सत्यापनोपरांत ही CTMIS में Book किया जाय एवं उसके आधार पर ही कोषागार में विपत्र पारित किया जाय ।

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे)
अपर सचिव

ज्ञापांक............2661..............................दिनांक....31..3..18

प्रतिलिपि-श्री विवेक सिन्हा, CTMIS प्रभारी, टी०सी०एस० लि० को निदेश दिया जाता है कि CTMIS में केवल वेतन विपत्र पारित करने की व्यवस्था के साथ अन्य कोई विपत्र पारित न करने की व्यवस्था लागू की जाय । साथ ही DDO Creation/ Activation/ Deactivation का कार्य भी Disable किया जाय ।

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे)
अपर सचिव